न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 74/17
निर्णय दिनांकः 10.05.2018

1. लाखाराम पुत्र रूपाराम जाति बलाई नि0 सरथला तह0 फुलेरा जिला जयपुर
वादी

बनाम

1. पदमा पुत्र सुखा बलाई नि0 सरथला तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरार हक

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि रूपा व जानकी का स्वर्गवास हो का है पदमा वादी का बड़ा भाई है जिनका स्वर्गवास दिनांक 02.08.72 को ग्राम रथला में हुआ पदमा पुत्र सुखा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम सरथला में नहीं है ओर पहलें कभी हुआ। ग्राम सरथला में वादी व उसका बड़ा भाई पदमा की आराजी 0नं0 62 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 63 रकबा 13 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 64 कबा 14 बीघा 2 विस्वा किता 3 कुल रकबा 28 बीघा 16 विस्वा में वादी व पदमा इस आराजी में 1/7 हिस्स है रूपा के वादी व पदमा के अलावा अन्य कोई व पुत्रीया नहीं है। रूपा व जानकी का स्वर्गवास वादी व पदमा के जीवनकाल हुआ। पदमा पुत्र रूपा का स्वर्गवास दिनांक 02.08.72 को हुआ तथा वादी उनका कमात्र विधिक उत्तराधिकारी व वारिस हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार है। राजस्व रिकोर्ड में विवादग्रस्त आराजी में जो पदमा का हिस्सा दर्ज उसमें गलती से पदमा के पिता का नाम रूपा के बजाय सुखा दर्ज कर दिया जो कि वास्तव में एक लिपिकीय भूल है चूकि वादी व पदमा दोनों ही अनपढ़ क्ति थे तथा कब्जा उन्हीं का था इस कारण से इस लिपिकीय भूल की उन्हें जानकारी नहीं रही। विवादग्रस्त भूमि में पदमा के 1/7 हिस्से के अलावा य हिस्सें व्यक्तियों के है वादी 1/7 हिस्सें पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है पदमा पुत्र रूपा के 1/7 हिस्सें के सम्बन्ध में वादी को वैधानिक रूप से दारी अधिकार प्राप्त हो चुके है पदमा पुत्र रूपा के स्वर्गवास के पश्चात् वादी काफी प्रयास नामान्तकरण स्वंय के नाम तस्दीक कराने के प्रयास किये परन्तु के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया चूकि वादी शान्तिपूर्वक काबिज

कारी

Scanned by CamScanner

रहकर काश्त करता आ रहा था अतः वादी ने भी आजतक अनपढ़ होने के नाते कोई कार्यवाही नहीं की है। हाल ही में दिनांक 01.03.17 को जब वादी ने विवादग्रस्त भूमि में पदम के हिस्सें की भूमि का नामान्तकरण स्वंय के नाम तस्दीक किये जाने हेतु पटवारी हल्का से निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने वादी को निर्देशित किया कि पदमा की वल्दियत राजस्व रिकोर्ड में रूपा के बजाय सुखा दर्ज है अतः इसकी दुरूस्ती होने के पश्चात् नामान्तकरण स्वीकृत किया जायेगा। अतः वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 तहसीलदार की ओर से रिपोर्ट पेश हुयी जिसमें अंकित किया कि प्रकरण में अंकित भूमि भू–प्रबन्ध विभाग की मिसल बन्दोबस्त सं0 2015 में अन्य सह खातेदारों के साथ प्रतिवादी सं0 1 पदमा पुत्र सुखा जाति बलाई के नाम से ही अंकित है तथा वर्तमान में भी इसी नाम से दर्ज है। प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र कोरसीना में पेश हुयी। प्रतिवादी सं0 2 ने फर्द मौका रिपोर्ट पेश की जिसमे अंकित किया कि आज दिनांक 10.05.18 को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक केम्प कोरसीना के निर्देशानुसार ग्राम सरथला के आराजी खं0नं0 62 रकबा 1 बीघा 9 विस्वा, खं0नं0 63 रकबा 13 बीघा 6 विस्वा, खं0नं0 64 रकबा 14 बीघा 1 विस्वा किता 3 दर्ज है जिसके सम्बन्ध में आज मजमेंआम में जानकारी करने पर उपस्थित व्यक्तियों ने व सहखातेदारों ने बताया कि पदमा के पिता का नाम सुखा नहीं था पदमा के पिता का नाम रूपा है इस बाबत सहखातेदारों ने निश्चित रूप से अवगत कराया कि पदमा के पिता का नाम रूपा है रूपा के दो पुत्र लाखा व पदमा बताया। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पर गवाहान, सरंपच, पटवारी हल्का व तहसीलदार फुलेरा ने हस्ताक्षर किये। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पत्रावली में शामिल की गयी।

वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित नकल जमाबन्दी संवत् 2030–2033, 2038–2041, 2043–2046, 2055–2058, 2047–2050, 2059–2062, 2063–2066, 2067–2070, 2051–2054, नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट संवत् 2015 से 2029, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र पदमा, नकल सिजरा प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कोरसीना, नकल पहचान पत्र वादी लाखा पेश किया है।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया या अवलोकन करने के बाद वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

कारी

Scanned by CamScanner

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद बाबत इस्तकरार हक का राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय की डिक्री फरमायी जाती है कि आराजी खं0नं0 62 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खं0नं0 63 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा, खं0नं0 64 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 28 बीघा 16 बिस्वा वाकै ग्राम सरथला तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में जो 1/7 हिस्सा पदमा पुत्र सुखा बलाई के नाम दर्ज है इसके नाम के बाबत् मजमेंआम में जानकारी की गयी तो पदमा पुत्र रूपा की जानकारी हुयी जिसके 2 लड़के लाखा व पदमा थे जमाबन्दी में पदमा पुत्र सुखा के स्थान पर पदमा पुत्र रूपा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार फुलेरा को निर्देश दिये जाते है कि पदमा पुत्र रूपा के वारिसों की जांच कर विधिनुसार विरासत के नामान्तकरण की कार्यवाही करें तथा राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प कोरसीना मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner